प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

एसपी महोबा द्वारा गठित एसओजी व सर्विलांश एवं कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने महोबा शहर के एक व्यापारी से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले युवक को किया गिरफ्तार

दिनांक **16.08.2021** को एक बन्द लिफाले के अन्दर अज्ञात पत्र के माध्यम से वादी मुकदमा श्री संजीव कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद नि0 लक्ष्मी मार्बल हाउस प्राइवेट बस स्टैण्ड महोबा से 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गयी थी तत्पश्चात वादी को दिनांक 17.08.2021 को इन्टरनेट कॉल के माध्यम से अज्ञात अभियुक्त द्वारा धमकी दी गयी व **50 लाख रुपये की फिरौती** की मांग की गयी, जिसके सम्बन्ध में वादी उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली महोबा में **मु.अ.सं. 372/2021 धारा 387 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत** किया गया था।

उक्त घटना का पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संज्ञान लेते हुये क्राइमब्रांच की टीम को थाना कोतवाली महोबा टीम के साथ घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में गठित टीमों द्वारा सर्विलांश के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर इन्टरनेट कॉल को ट्रैस कर घटना का सफल अनावरण करते हुये दिनांक 12.10.2021 को **मु.अ.सं. 372/2021 धारा 387/507 भादवि** से सम्बन्धित प्रकाश में आया अभियुक्त विकास राजपूत पुत्र नरेन्द्र राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी प्राइवेट बस स्टैण्ड ओल्डसिटी कार्ट माल के पीछे नयापुरा नैकाना थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा को मय घटना में प्रयुक्त मोबाइल व मोबाइल में इंस्टाल **Call Free App.** जिसके माध्यम से वादी को इन्टरनेट कॉल कर धमकी व फिरौती की मांग की गयी थी तथा जिस पत्र के माध्यम से 50 लाख की फिरौती की मांग की गयी थी उसकी एक फोटोप्रति मोबाइल में पायी गयी को कब्जा पुलिस लेते हुये अभियुक्त को थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत लौडी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त -

विकास राजपूत पुत्र नरेन्द्र राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी प्राइवेट बस स्टैण्ड ओल्डसिटी कार्ट माल के पीछे नयापुरा नैकाना थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

एसओजी टीम-

1.उ.नि. श्री राहुल परमार प्रभारी सर्विलांश टीम **2.**उ.नि. राजबहादुर सिंह **3.**कां0 अंशुल दुबे **4.** कां0 दीपक वर्मा

थाना कोतवाली महोबा टीम-

1.व.उ.नि. आनन्द कुमार **2.**उ.नि. उपेन्द्र प्रताप सिंह
3.हे.का. सुरेश कुमार यादव

थाना कबरई पुलिस टीम ने वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 13.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित वारण्टी गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम **ने मु0नं0 1235/21** मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा व **मु0अ0सं0 168/19 धारा 308/504/506 भादवि** थाना कबरई से सम्बन्धित वारण्टी वीरेन्द्र उर्फ छुट्टे भइया पुत्र कल्लू उर्फ शिवप्रसाद कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 रानीलक्ष्मी बाई नगर कस्वा व थाना कबरई जिला महोबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

वीरेन्द्र उर्फ छुट्टे भइया पुत्र कल्लू उर्फ शिवप्रसाद कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 रानीलक्ष्मी बाई नगर कस्वा व थाना कबरई जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सनय कुमार,
2. हे0कां0 राजेश कुमार

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 13.10.2021

मीडिया सेल, महोबा

कुलपहाड़ पुलिस टीम ने एक नफर वाछिंत अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 13.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित वारण्टी गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने **मु0अ0सं0 229/2021 धारा 363/366/323/376(2)(ढ)/120B भा0द0वि0 व 6 पाक्सो एक्ट के सम्बन्धित** वाछिंत अभियुक्त मुकेश अनुरागी पुत्र जयसिंह अनुरागी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बौखर थाना जरिया जनपद हमीरपुर को पुलिस हिरासत में लेकर जिसके संबंध में थाना हाजा पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

(1) मुकेश अनुरागी पुत्र जयसिंह अनुरागी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बौखर थाना जरिया जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा
2. कां0 अखिलेश कुमार
3. रि0कां0 कृष्ण कुमार यादव

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोबा की संयुक्त अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन तथा मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन।

शारदीय नवरात्र व निकट भविष्य के त्यौहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 13.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित सभा कक्ष में सैनिक सम्मेलन का आयोजन कर अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्यायें सुनी गयीं तथा उनकी समस्या के निराकरण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

सैनिक सम्मेलन के उपरान्त जिलाधिकारी महोबा श्री सत्येन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में जनपद के समस्त प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी, जिसमें दुर्गा पूजा (नवरात्रि), दशहरा पर्व, मूर्ति विसर्जन, बारावफात सहित निकट भविष्य में होने वाले अन्य त्यौहारों तथा किसानों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जिले के समस्त सीमा क्षेत्रों तथा मुख्य स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिये सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक निर्देश दिये गये-

1. अपराध एवं निरोधात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध मे तुलनात्मक समीक्षा।
2. बरामदगी हेतु शेष अपहृत/अपहृता, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी की समीक्षा
3.तहसील दिवस / समाधान दिवस व जनता दर्शन के लम्बित सभी शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा।

4.आगामी त्यौहार दुर्गापूजा/दशहरा के सम्बन्ध मे की गयी तैयारियों की समीक्षा।

5.अज्ञात अभियोगों को वर्क आउट किया जाये।

6. अवैध शराब बिक्री /निष्कर्षण, मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाये।

7. थाना क्षेत्र की बीट प्रणाली चुस्त दुरुस्त की जाय, बीट आरक्षी अपने बीट क्षेत्र के गणमान्य लोगों से निरन्तर संपर्क मे रहें व बीट क्षेत्र के असमाजिक तत्वों पर पैनी दृष्टि रख उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8. जघन्य अपराधों पर पूर्णतया अंकुश लगाने व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सख्त निर्देशन दिये गये।

09. आईजीआरएस के लम्बित संदर्भो की समीक्षा, पुराने मामलों के निस्तारण, जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्रों के फीडबैक के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिए गए।

10. शहर व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाने, अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, वांछित अभियुक्त/ वारंटियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

11. अनावरण हेतु शेष अभियोगों की समीक्षा।

12. साइबर अपराध के बढते हुये प्रकरणों के सम्बन्ध में साइबर क्राइम के सम्बन्ध में लगातार आमजनता को जागरुक किये जाने के निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्री आर0एस0 वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के गौतम, एसडीएम सदर श्री मो0 अवेश, एसडीएम चरखारी श्री रमेश कुमार, एसडीएम कुलपहाड़ श्री राकेश कुमार, सीओ सिटी श्री रामप्रवेश राय, सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र, सीओ कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह व सभी शाखा कार्यालयों के प्रभारी व सभी थानों के प्र0नि0/थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.10.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा गठित उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर एक नफर अभियुक्त को रगौली रोड वहद ग्राम सिजवाहा से अवैध देशी शराब बेचते हुये गिरफ्तार किया जिसमें अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 25 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद की गयी, बरामदा नाजायज देशी कच्ची शराब के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 152/21 धारा 60 **EX ACT** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला
2. कां0 पुष्पेन्द्र सिंह 3. कां0 आशीष पाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवराज सिंह पुत्र भवानी सिंह परिहार उम्र 58 वर्ष नि0ग्राम रगौली थाना लवकुश नगर जिला छतरपुर।

Mahoba Police

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 13.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में पैदल गस्त किया गया एवं जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त कर की गई संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग

आज दिनाँक 13.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा थाना कोतवाली शहर मे संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दुर्गा पाडांलों का निरीक्षण किया गया तथा समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा, दुर्गा पंडालों आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगो को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **165** ई-चालान किये गये एवं कोविड-19 नियमों के उल्लघंन पर **11** व्यक्तियों से **1900** रु0 वसूला गया।

Mahoba Police